

## आदेश


यह आदेश श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव, प्रोपराईटर मेसर्स आर0एस0 आउटसोर्सिंग, चांदमारी रोड, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना, बिहार, (इसके बाद संस्था के लिए आपके शब्द का प्रयोग किया जाएगा) जो इस संस्थान में निविदा संख्या PRNo 018086 (Health) 2024-25 के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में आउटसोर्स के आधार पर साफ-सफाई का कार्य संपादित कर रही है के बार-बार सूचित करने एवं चेतावनी के पश्चात भी निविदा शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर पारित किया जा रहा है।

इस कार्यालय के पत्रांक- 3272 दिनांक 06.08.2025, 3300 दिनांक 07.08.2025, 3308 दिनांक 08.08.2025 एवं 3500 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा आपको निविदा शर्तों के अनुरूप काम करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद आपने निविदा शर्तों का पालन नहीं किया। उक्त के पश्चात भी इस कार्यालय के पत्रांक 750 दिनांक 14.03.2026, 821 दिनांक 24.03.2026, 925 दिनांक 02.04.2026 एवं 1069 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा भी निविदा शर्तों के पालन के हेतु आदेश दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी आपके द्वारा संविदा वचनों का पालन नहीं किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पत्रों के द्वारा आपसे निम्नलिखित दस्तावेजों, जो निविदा शर्त के अनुसार संविदा क्रियाव्ययन के लिए अतिआवश्यक है कि मांग की गई थी :-

1. संस्था द्वारा वहाल कर्मियों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र (वर्तमान जिला निवासी)
2. जाति एवं कोटि प्रमाण - पत्र।
3. जिला के पुलिस अधीक्षक/स्थानीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र।
4. कर्मियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति।
5. ESIC No एवं EPF No से संबंधित अभिलेख।
6. संस्था द्वारा निर्गत नियुक्ति - पत्र की प्रति।
7. निविदा शर्तों के अनुरूप प्रत्येक कर्मि का अलग- अलग शपथ - पत्र (निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार)
8. स्वास्थ्य बीमा/आयुष्मान भारत कार्ड अथवा समकक्ष कौशलेश स्वास्थ्य बीमा (कम से कम 5,00,000 प्रति वर्ष) से संबंधित पॉलिसी बॉन्ड की छायाप्रति।
9. पेंशन योजना/पेंशन बीमा (कम से कम 5000 प्रति माह) से संबंधित पॉलिसी बॉन्ड की छायाप्रति।

किंतु आपके द्वारा उक्त आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। यह आपके निविदा शर्तों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 593(3) दिनांक 13.10.2025 के द्वारा आपके द्वारा इस संस्थान में उपरोक्त निविदा एवं संविदा की जांच हेतु एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 55(3) दिनांक 15.01.2026 के द्वारा समिति का मंतव्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार जांचोपरांत कमिटी ने अपने कार्यालय पत्रांक 258 दिनांक 04.12.2025 से निम्नवत् मंतव्य प्रतिवेदित किया है :-

  
11/11/25

  
11/11/25

"वर्णित परिपेक्ष्य में यह परिलक्षित होता है कि निविदा के शर्तों से इतर एकरारनामा की शर्तों को तैयार कर निविदा की कतिपय शर्तों को निष्प्रभावी कर दिया गया है जोकि नियमानुकूल नहीं है।"

उपरोक्त विभागीय पत्र के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 212 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा आपको अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था एवं साथ ही यह चेतावनी दी गई थी कि यदि आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो अधोहस्ताक्षरी अपने स्तर से एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा गया इसके पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 504 दिनांक 21.02.2026 एवं पत्रांक 576 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा आपको स्मारित भी किया गया फिर भी आज तक आप उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विभागीय पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 670 दिनांक 09.03.2026 के द्वारा दिनांक 13.03.2026 को इस पर निर्णय लेने हेतु निविदा निर्धारण समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें आपको भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था किंतु आप बैठक में भी उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक 13.03.2026 के बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित 03 निर्णय लिए गए :-


- (1) चूकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एकरारनामा में निविदा शर्तों को निष्प्रभावी कर दिया गया है इसलिए इस एकरारनामा को रद्द करते हुए निविदा शर्तानुकूल नया एकरारनामा हेतु निदेशक लोकनायक जयप्रकाश को निदेशित किया गया।
- (2) निदेशक को विधि परामर्श के लिए अधिकृत किया गया।
- (3) नया एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में निदेशक को निविदा रद्द करने हेतु अधिकृत किया गया।

समिति के उपरोक्त निर्णय के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 811 दिनांक 23.03.2026 एवं पत्रांक 924 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा आपसे साथ बैठकर एकरारनामा को निविदा शर्तों के अनुरूप संशोधित करते हुए एक नया एकरारनामा हस्ताक्षरित करने का अनुरोध किया गया किंतु आपके द्वारा उक्त अनुरोध पर कोई करवाई नहीं की गई। यह प्रदर्शित करता है कि आप इस कार्यालय के आदेशों के प्रति पूर्णतः उदासीन एवं लापरवाह है।

उपरोक्त तथ्य प्रमाणित करते हैं कि आप प्रारंभ से ही अनुबंध के शर्तों के पालन करने में उदासीन एवं लापरवाह रहें हैं। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय स्तर से उपरोक्त पत्रों एवं आदेशों के माध्यम से आपको बार-बार इस संदर्भ में सूचित किया गया, चेतावनी दी गई फिर भी अनुबंध के शर्तों एवं निविदा शर्तों के पालन करने के प्रति आपके द्वारा कभी कोई सकारात्मक कार्यवाई नहीं की गई और लगातार इनकी अवहेलना की गई।

आपको विदित है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना एक बड़ा चिकित्सीय संस्थान है। इस संस्थान में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के अभाव में संक्रमण की अत्यधिक संभावना है। इसके बावजूद आपके द्वारा साफ-सफाई का काम बैज्ञानिक तरीके से, जैसा कि निविदा शर्तों में उल्लेखित है, नहीं किया जाना इंगित करता है कि आप संविदा के वचनों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस संस्थान में साफ-सफाई एवं स्वच्छता का महत्व एवं इन कार्यों के प्रति आपकी उदासीनता एवं लापरवाही को ध्यानांतरगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस निश्कर्ष पर पहुंचे है कि आप इस संस्थान में साफ-सफाई का कार्य, जो मरीजों, आंगंतुकों एवं कार्यरत कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने हेतु अत्यावश्यक कार्य है, के लिए आप योग्य नहीं हैं एवं उपरोक्त तथ्यों के देखते हुए आपके साथ संविदा क्रियाण्वयन जारी रखना लोकहित में नहीं है।

  
11/5/26


  
11/5/26

उपरोक्त निविदा शर्तों के अंतर्गत आपके साथ दिनांक 15.05.2025 को साफ-सफाई के कार्यों हेतु एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया था। हस्ताक्षरित एकरारनामा की कंडिका 12 में यह विहित किया गया है कि दोनों पक्ष के लिए इस निविदा से संबंधित निविदा शर्तों का अनुपालन वाध्यकारी होगा। दोनों पक्ष निविदा शर्त के अंतर्गत वर्णित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे, शर्तों की अवहेलना की दशा में शर्तों के अंतर्गत दोनों पक्ष वर्णित दण्ड/कार्यवाई के भागी होंगे। निविदा शर्त नोट उपकंडिका - 8 के अंतर्गत भी यह विहित किया गया है कि नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुओं को महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य समझा जाय, यदि निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने अथवा कार्यादेश निर्गत के पश्चात किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई सभी भुगतान राशि की वसुली कर सरकारी खाजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रघन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चूंकि आप अनुबंध के शर्तों एवं निविदा शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए अधोहस्ताक्षरी भी निविदा निर्वाह के लिए बाध्य नहीं है।

उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि आपके साथ दिनांक 15.05.2025 को हस्ताक्षरित उपरोक्त एकरारनामा को रद्द किया जाय।

अतः आपके साथ उपरोक्त एकरारनामा को इस आदेश कि निर्गत होने कि तिथि से 60 दिनों के बाद स्वतः रद्द समझा जायगा, बैकल्पिक व्यवस्था होने तक आप इस संस्थान में यथावत साफ-सफाई का कार्य करते रहेंगे।



निदेशक, 11/5/26

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,  
राजवंशीनगर, पटना।

ज्ञापांक.....1824/दिनांक.....11/05/2026 ई०

प्रतिलिपि :- रागिनी श्रीवास्तव, प्रोपराईटर मेसर्स आर०एस० आउटसोर्सिंग, चांदमारी रोड, लोहियानगर,  
कंकडबाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, स्वास्थ्य बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक, 11/5/26

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,  
राजवंशीनगर, पटना।

11/5/26

